उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

मैनुअल–8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरुप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसे बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

मैनुअल – 8

बोर्ड, परिषदों, समितियों व अन्य निकायों का विवरण

1. सम्बद्ध संस्था का नाम–

   (अ) बहुउद्‌देशीय एवं जल विद्युत परियोजनाओ के लिये सलाहकार परिषद

   (ब) तकनीकी सलाहकार समिति

2. सम्बद्ध संस्था का प्रकार–

   (अ) परिषद (ब) समिति

3. सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय–

(अ) सिंचाई विभाग में निर्माणाधीन/निर्माण की जाने वाली बहुउद्‌देशीय एवं जल विद्युत परियोजनाओं के परिकल्पन एवं कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु स्थाई परामर्शदात्री परिषद का गठन उत्तरांचल सरकार द्वारा 21.12.2002 को किया गया था।

(ब) प्राविधिक सलाहकार समिति (टी0ए0सी0) का गठन उत्तरांचल राज्य भूमि कटाव एवं बाढ़ नियंत्रण परिषद की सहायता हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 29.3.2001 को किया गया था ।

4. सम्बद्ध संस्था की भूमिका–

(अ) बहुउद्‌देशीय एवं जल विद्युत परियोजनाओं के परिकल्पन एवं कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु परामर्श देना।

(ब) उत्तराखण्ड राज्य भूमि कटाव एवं बाढ़ नियंत्रण परिषद की सहायता करना।

5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य–

(अ) स्थाई परामर्शदात्री परिषद, में एन0एच0पी0सी0 के सेवा निवृत्त निर्देशक (प्राविधिक) अध्यक्ष तथा मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं। इसके आठ सदस्य और हैं जिनमें कार्यरत एवं सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, निर्देशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक आदि सम्मिलित हैं।

(ब) तकनीकी सलाहकार समिति में मुख्य अभियंता (स्तर–1) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, अध्यक्ष तथा अधीक्षण अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन मंडल–1 देहरादून इसके सदस्य सचिव हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न क्षेत्रों का तकनीकी ज्ञान रखने वाले 10 सदस्य और हैं।

6. मुख्य अधिकारी का नाम–

(अ) स्थाई परामर्शदात्री परिषद में सुश्री इनाक्शी तेवतिया, निदेशक (तकनीकी) एन0एच0पी0सी0 (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष हैं।

(ब) तकनीकी सलाहकार समिति में मुख्य अभियंता (स्तर–1) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, अध्यक्ष हैं।

(स) प्रशिक्षण सलाहकार समिति में मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, अध्यक्ष हैं।

(द) प्रशासनिक सलाहकार समिति में सचिव, सिंचाई, अध्यक्ष हैं।

7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–

सभी में जो सदस्य सचिव का पता दिया गया है।

8. बैठक की आवृत्ति–

(अ) स्थाई परामर्शदात्री परिषद के संबंध में जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तब।

(ब) तकनीकी सलाहकार समिति के संबंध में प्रत्येक दो माह में एक बार।

9. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?

सभी परिषद एवं समिति प्राविधिक प्रकृति की हैं। अतः जनता की सहभागिता की आवश्यकता नही है।

10. क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?

हां, सभी मामलों में।

11. क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें–

इन परिषद एवं समितियों के कार्यवृत्त शुद्ध प्राविधिक हैं, अतः इनकी आवश्यकता जनता को सामान्यतः नही होती है। वर्तमान अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कार्यवृत्त की यदि जनता को आवश्यकता है, संबंधित लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।